न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुलाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 120/17
निर्णय दिनांक: 22.05.2018

1. प्रभातीलाल पुत्र नाथू जाति कुमावत नि0 भूरोनिया की ढाणी काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती खातेदारी

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 168 की आराजी ख0नं0 460 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता, ख0नं0 491 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 492 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 134/460 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 1348/460 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाके काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिमसें वादी का 1/8 हिस्सा है तथा इसी प्रकार खाता सं0 70 की आराजी ख0नं0 452/16 रकबा 1 बिस्वा वाके ग्राम खतवाड़ीखुर्द प0ह0 रिनोदिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी का 1/2 हिस्सा है जो इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है जिस पर वादी काबिज काश्त होकर अपने हिस्सें का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी का वास्तविक नाम प्रभातीलाल पुत्र नाथू है परन्तु वादी का सहवन से नाम उपरोक्त खातेदारी में प्रभूदयाल पुत्र नाथू गलत अंकित कर दिया गया। वादी का बोलचाल का नाम प्रभुदयाल है जिसके कारण वादी के उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण खोला गया तब वादी का नाम सहवन से प्रभुदयाल गलत अंकित्त कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक सही नाम प्रभातीलाल है जो कि वादी के पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरलिस्ट व सर्विस रिकोर्ड सभी में वादी का नाम प्रभातीलाल पुत्र नाथू ही अंकित किया हुआ है। वर्तमान में जब वादी ने अपनी उपरोक्त आराजीयात को उन्नत व विकसित किये जाने के लिए बैंक से ऋण लेना चाहा ओर जमाबन्दी बैंक में प्रस्तुत की तो बैंक वालों ने वादी को उसका नाम दुरूस्त करवानें को कहा जिस पर वादी को जानकारी हुई कि उसका नाम उसकी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में प्रभातीलाल की जगह बोलचाल का नाम प्रभुदयाल अंकित किया हुआ है जिस पर वादी ने पटवारी हल्का व तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

महोदय फुलेरा से भी उक्त नाम को दुरूस्त किये जाने के लिए दिनांक 25.07.17 को निवेदन किया तो उन्होनें श्रीमान् के न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत दी इसलिए यह वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र काजीपुरा में पेश हुयी। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में प्रभुदयाल है एवं प्रार्थी का सही नाम प्रभातीलाल है जो प्रार्थी के संलग्न दस्तावेजों में दर्ज है अतः प्रार्थी का नाम प्रभुदयाल की बजाय प्रभातीलाल राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना उचित है ताकि प्रार्थी का नाम शुद्व हो सके।

वकील वादीया ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता सं0 168 सवंत् 2072–75 ग्राम काजीपुरा, संवत् 2070–73 ग्राम खतवाड़ीखुर्द खाता सं0 70, फौती नामान्तकरण दिनांक 17.07.97, ग्राम पंचायत काजीपुरा का प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.17, आधार कार्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, पंजाब बैंक डायरी, भारत निर्वाचन आयोग, राशन कार्ड फोटो कॉपी पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 168 की आराजी खं0नं0 460 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 रास्ता, खं0नं0 491 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 492 रकबा 8 विस्वा, खं0नं0 134/460 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1348/460 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा वाकै काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी का नाम प्रभुदयाल पुत्र नाथू के स्थान पर प्रभातीलाल पुत्र नाथू दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प काजीपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक   मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

प्रभातीलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती खातेदारी

मुकदमा नंबर 120/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गोपीचन्द कुमावत व हाजरी श्री दिव्यराज वीर मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 163 की आराजी ख0नं0 460 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता, ख0नं0 491 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 492 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 134/460 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 1348/460 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाकै काजीपुरा त0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी का नाम प्रभुदयाल पुत्र नाथू के स्थान पर प्रभातीलाल पुत्र नाथू दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।..निज .... मुबलिग.. बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................................का अदा करे।

बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत.........
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner